राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/56000/14–15 जयपुर, दिनांक : 03 JUL 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम लागू करने के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय पत्रांक एफ21(44)ग्रावि/नरेगा/2010 पार्ट–II दिनांक 04.03.2015 एवं समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.03.2015 एवं 06.05.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **डाटा एन्ट्री** हेतु **आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम लागू** किये जाने बाबत अवगत कराया जा चुका है, साथ ही यह निर्देश दिए जा चुके है कि सिस्टम लागू किये जाने हेतु **बायोमैट्रिक डिवाइस का कय आपके स्तर** से कर लिया जावे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि **दिनांक 01.06.2015 से बिना आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम से नरेगा सॉफ्ट में एन्ट्री किया जाना संभव नही** होगा। योजना की अधिकृत वैब साइट पर भी यह सूचना scroll हो रही है।

अतः इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. सर्वप्रथम योजना की **वैब साइट nrega.nic.in पर कार्मिकों का पंजीकरण** किया जावे। पूर्व में **पंजीकृत कार्मिकों का सत्यापन** भी साथ ही किया जावे, ताकि **वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के अनुरूप डाटा बेस अपडेट** हो जावे।
2. पूर्व में पंजीकृत **कार्मिकों के आधार नम्बर की एन्ट्री पंजीकरण में आवश्यक रूप** से की जावे। **नये पंजीकरण** की स्थिति में **आधार नम्बर की एन्ट्री पंजीकरण के साथ** ही की जावे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि **पंजीकरण में केवल आधार नम्बर की ही एन्ट्री** की जावे, **ईआईडी नम्बर की एन्ट्री इस मॉड्यूल में नही** की जानी है।
3. **बायोमैट्रिक डिवाइस का कय** यदि **अभी तक नही** किया गया है तो **निर्धारित तिथि से पूर्व कय किया जाना सुनिश्चित** किया जावे।
4. उक्त कार्यवाही के बिना आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम संभव नही है।

5. बिन्दु संख्या 1 एवं 2 की **समयबद्व कार्यवाही की व्यक्तिशः जिम्मेदारी** ब्लाक स्तर पर **विकास अधिकारी पंचायत समिति सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा** तथा जिला स्तर पर **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा** की होगी।

6. बिन्दु संख्या 3 की समयबद्व कार्यवाही की व्यक्तिशः जिम्मेदारी **परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद** की होगी।

7. उक्तानुसार कार्यवाही समयबद्व नही किये जाने पर इनके विरूद्व आपके द्वारा कार्यवाही की जाकर विभाग को अवगत किया जावे।

उक्तानुसार निर्देशों की **समयबद्व पालना सुनिश्चित** की जावे।

भवदीय

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. आयुक्त, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. मुख्यालय पर महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ में कार्यरत समस्त अधिकारीगण।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस समस्त।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/बाडमेर।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति सह कार्यक्रम अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस